A-65

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/**Head Office**

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फाइल सं. मा.सं.प्र.-VII/37(1)97/वीए/पार्ट/ई-38093/3612 दिनांक: 29.05.2025

<u>नियुक्ति प्रस्ताव</u>

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्नलिखित कार्मिकों को क.भ.नि.स. में सतर्कता सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 [35,400-1,12,400 रु.] में नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है। प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में, सतर्कता सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगी।

क्र. सं.	अधिकारी के नाम (श्री/श्रीमाती/सुश्री)	पद	वर्तमान तैनाती स्थान	सतर्कता सहायक के रूप में वर्तमान तैनाती
1.	राजीव कुमार आजाद	**वरि.सा.सु.स.**	क्षे. का., वेल्लोर	आं.स.नि., दिल्ली
2.	नेहा वर्मा	**वरि.सा.सु.स.**	क्षे. का., लखनऊ	आं.स.नि., दिल्ली
3.	कपिल त्यागी	**वरि.सा.सु.स.**	क्षे. का., चंडीगढ़	आं.स.नि., चंडीगढ़
4.	जोशी एंटनी	**वरि.सा.सु.स.**	क्षे. का., चंडीगढ़	आं.स.नि., चंडीगढ़
5.	समाथम वेंकट शर्वण कुमार	**वरि.सा.सु.स.**	क्षे. का., तांबरम	आं.स.नि., हैदराबाद

2. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-**

(i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/ज्ञापन द्वारा अभिशासित होंगे।

(ii) नियुक्ति आदेश संबंधित कार्मिकों की लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें सतर्कता मंजूरी के अधीन नियुक्ति के प्रस्ताव की शर्तों एवं नियमों को स्वीकार कर लिया गया है।

(iii) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण करने का समय लेने के पात्र होंगे।

(iv) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न करदे।

(v) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस आ जाता है।

3. **यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो उपर्युक्त कार्मिक अपनी लिखित सहमति और सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र कार्यालय को इस ईमेल पते rpfc.exam@epfindia.gov.in पर नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर भेज दें।**

(अजय के मेहरा)
अपर कें.भ.नि.आ.(भर्ती/परीक्षा)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी
(संबंधित क. भ. नि. स. कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ अ. कें.भ.नि. आ. (मुख्या.. और अंचल)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अ. कें.भ.नि. आ. मुख्यालय/अंचल।
4. मुख्य अभियंता।
5. क्षे.भ.नि.आ.-I (एएसडी) सहित सभी क्षे.भ.नि.आ. (क्षे.का.) के प्रभारी।
6. मुख्यालय में सभी अधिकारी।
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
8. क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) - आदेश वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. सभी आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र/उप-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती/परीक्षा)